स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

क्रमांकडीएमआरसी/स्थापना/भंडार/रखरख़खाव/बीसी मिनट्स/2012ई0601 खण्ड तीन दिनांक 29.10.2021

निविदा दस्तावेज की लागत रु. 500/

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in Website: https://niirncd.icmr.org.in/

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में

सुरक्षा कार्मिक सेवा

के लिये

निविदा दस्तावेज़

निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर निविदा	29.10.2021
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	24.11.2021 5:30 बजे तक
बोली खोलने की तिथि और समय	25.11.2021 ਸ਼ਾਨ: 11: 00 ਕਤੇ
तकनीकी बोली मूल्यांकन की तिथि और समय	तदनुसार सूचित किया जाएगा

• ऑनलाइन बोली केवल GeM के माध्यम से स्वीकार की जाएगी।



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

परिचय:

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अन्संधान संस्थान 07 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आया। इसका पूर्ववर्ती नाम "मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र" था, जो बदल गया है। संस्थान के पास सुक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन और वेक्टर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में ब्नियादी प्रयोगशाला आधारित अन्संधान करने के लिए अत्याध्निक स्विधा है। संस्थान असंचारी रोगों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने के लिए अपनी क्षमता को सशक्त बनाने हेत् जनशक्ति और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान में 10 समर्पित वैज्ञानिकों, 9 तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह है, जो 28 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों द्वारा योग्यतापूर्वक समर्थित है। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र भारत में जन स्वास्थ्य महत्व के हृदय रोग, सांस की प्रानी बीमारियां, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, कैंसर, चोट और आघात, मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारियां, आन्वंशिक रोग और अन्य असंचारी रोग हैं। संस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यान्वयन अनुसंधान के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न असंचारी रोगों के जोखिम कारकों से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और मॉडल विकसित करने की इच्छा रखता है। संस्थान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ सहभागिता के लिए हार्दिक स्वागत करता है।

निविदा आमत्रण सचनाः

एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर में सुरक्षा सेवा के लिए कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन हेत्

निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अन्संधान संस्थान, जोधप्र (एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधप्र) स्रक्षा सेवा के लिए कर्मियों को प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित और अन्भवी एजेंसियों से जेम के माध्यम से है। भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण https://niirncd.icmr.org.in/ वेबसाइट और केवल जेम के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

कार्य-क्षेत्र

- 1. एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधप्र में स्रक्षा सेवाएं प्रदान करना
- 2. इस सेवा का उद्देश्य संस्थान परिसर में स्रक्षा उपायों के कार्यान्वयन को स्गम बनाना है। सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की आवश्यकताओं के अन्सार उल्लिखित पारियों के लिए आवश्यक उपकरण और कर्मियों को उपलब्ध कराएगा

सेवा प्रदाता के दायित्व:-

1. सेवा प्रदाता द्वारा जनशक्ति को रोजगार:

न्यू पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान – 342005, (भारत) New Pali Road, Jodhpur, Rajasthan – 342005 (INDIA) Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

- 1.1 सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाला सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित या नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि वह भारत का नागरिक या ऐसे अन्य देश का नागरिक न हो जिसे लागू सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार रोजगार देने की अनुमति है।
- 1.2 सेवा प्रदाता केवल अठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले और 65 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ही नियुक्त करेगा। सुरक्षा एजेंसी केवल उस व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिससे सेवा प्रदाता उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतुष्ट हो और निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो। सेवा प्रदाता केवल पी.एस.आर.ए. 2005 और नियमों में निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त करेगा। इसके अलावा वह व्यक्ति प्रासंगिक नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
- 1.3 कोई भी व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिसे संघ, राज्य पुलिस संगठन, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सशस्त्र बल या किसी भी निजी में सेवा करते हुए कदाचार, या नैतिक अधमता के आधार पर बर्खास्त या हटाया गया हो सुरक्षा एजेंसी को सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 1.4 सेवा प्रदाता, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते समय उस व्यक्ति को वरीयता देगा जिसने सेना, नौसेना और वायु सेना या अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस बलों में सदस्य के रूप में सेवा की है, यहां तक कि उन पदों के लिए भी, जिनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में यदि उन पदों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से इंगित नहीं भी किया गया हो।
- 1.5 सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत को स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से सत्यापित कराया जाएगा और इस संबंध में एक वचनपत्र एन.आई.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को प्रस्तुत किया जाना है तथा एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता प्रावधानों का अनुपालन करता है।
- 1.6 सेवा प्रदाता अपने कर्मियों के जीवनवृत (सीवी) और पुलिस सत्यापन विवरण प्रस्तुत करने के बाद और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कर्मियों को तैनात करेगा। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाएगा और सेवा प्रदाता को उनके जीवनवृत (सीवी) के साथ ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 1.7 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के पास किसी भी ऐसे कार्मिक को हटाने का अधिकार होगा, जो उचित तर्क या अन्य कारण से अवांछनीय माना जा सकता है और इसी तरह सेवा प्रदाता के पास एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को पूर्व सूचना देने के साथ आपात स्थिति में किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार स्रक्षित है।

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

2. सेवा प्रदाता द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर

- 2.1 सेवा प्रदाता निजी सुरक्षा एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, उनके नियंत्रण में सुरक्षा कर्मियों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटो और वेतन और ऐसे अन्य विवरण जो पी.एस.आर.ए. अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, के साथ एक रजिस्टर संधारित करेगा।
- 2.2 सेवा प्रदाता एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन में उसके किमीयों के रोजगार की प्रविष्टि की जाएगी और एन.आई.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। बिल तैयार करते समय महीने के दौरान लगे किमीयों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट वार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को दिखाया जाना चाहिए। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. ऐसी जानकारी मांग सकता है जो वह सेवा प्रदाता से आवश्यक समझे।
- 2.3 सेवा प्रदाता कानून के तहत सभी वैधानिक रजिस्टरों को संधारित करेगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण की मांग पर उन्हें प्रस्त्त करेगा।

3. फोटो पहचान पत्र जारी करना

- 3.1 सेवा प्रदाता द्वारा तैनात प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- 3.2 फोटो पहचान पत्र एन.आई.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप और पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों का अनुपालन में जारी किया जाएगा । प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपने साथ जारी किए गए फोटो पहचान पत्र को अपने पास रखेगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण की मांग पर इसे प्रस्तुत करेगा।

4. लाइसेंस की आवश्यकताएं

4.1 सेवा प्रदाता के पास निजी सुरक्षा विनियम अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.) के प्रावधान के तहत एक वैध लाइसेंस होना चाहिए जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालन के लिए प्रदान किया जाता है, जहां सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमित जो सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, अनुबंध की पूरी अविध के दौरान वैध हों, ऐसा ना होने पर उपयुक्त दंड लगाया जाएगा। इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा मांग करने पर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

4.2 सेवा प्रदाता अपने हिस्से और लागत पर अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, , यदि कोई हो तो, सभी कानूनी

आवश्यकताओं का पालन करेगा। आवश्यकता प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगठन के लिए लगे व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

4.3 सेवा प्रदाता कानून के तहत लाइसेंस प्रावधानों के अनुसार संधारित किए जाने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक रजिस्टरों को संधारित करेगा और मांग करने पर एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

5. प्रशिक्षण

सेवा प्रदाता के पास पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के तहत मान्यता प्राप्त अपना स्वयं का अधिष्ठान/प्रतिष्ठान/तंत्र/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए या पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सुरक्षा किमयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसका गठजोड़ होना चाहिए तािक वे अपने सुरक्षा किमयों के उत्तरदाियत्व और जिम्मेदािरयों के सही और संतोषजनक कार्य निष्पादन को सुनिश्चित कर सकें। अनुबंध के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास प्रमाण पत्र है। प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि उतनी होगी, जैसा कि पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम में निर्दिष्ट है और अधिनियम में निर्धारित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार है। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस किमयों को केवल पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

6. तैनात स्रक्षा कर्मियों का आचरण

- 6.1 सुरक्षाकर्मी किसी भी रूप में कोई एहसानमंदी या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे।
- 6.2 सेवा प्रदाता के साथ अपने रोजगार अनुबंध की शर्तों के तहत, सुरक्षा कर्मचारी सेवा प्रदाता और उसकी ओर से किए गए कार्य को छोड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनाम के लिए या अन्यथा के लिए कोई भी पेशेवर या अन्य कार्य नहीं करेंगे।
- 6.3 सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. स्टाफ के साथ व्यवहार करने में बहुत ही सुखद व्यवहार के साथ अत्यंत विनम्न होना चाहिए और उन्हें अत्यधिक अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को अपने स्टाफ की शिकायतों के मामले में या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के प्रतिनिधि के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा, यदि कोई व्यक्ति संतोषजनक ढंग से या अन्यथा काम नहीं कर रहा हो। सेवा प्रदाता को ऐसे सभी मामलों

Phone: 0291-2729713 I Fax: 0291-2720618

स्वारथ्य अनुसंधान विभाग, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- में उपय्क्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी किसी भी कर्मचारी संघ और संघ में भाग नहीं लेगा।
- 6.4 तैनात किए गए व्यक्तियों को अपने काम के दौरान क्छ गोपनीय दस्तावेजों और सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए। इसे देखते हुए, उन्हें
- गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन सेवा प्रदाता के साथ-साथ तैनात व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के अलावा लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. वर्दी और बैज

- 7.1 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षाकर्मी अपनी भूमिका या कार्य को इंगित करने के लिए जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बैज कंधे या छाती पर लगाएं। स्रक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत स्रक्षाकर्मी, रस्सी से जुड़ी एक सीटी रखें जो उनकी बाईं जेब में रखी जानी चाहिए। स्राख़ और लेस वाले जूते, हेडगियर पहनें, जिन पर सेवा प्रदाता का विशिष्ट चिह्न भी हो सकते हैं।
- 7.2 स्रक्षा कर्मियों द्वारा सक्रिय ड्यूटी के दौरान पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे कि वे उनके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। विशेष रूप से वे कपड़े न तो बह्त तंग होने चाहिए और न ही बह्त ढीले होने चाहिए ताकि अंगों की गति या झ्कने में बाधा उत्पन्न ना हो।
- 7.3 सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखेगा।
- 7.4 प्रत्येक स्रक्षा व्यक्ति को एक अच्छी ग्णवता वाली टोर्च और एक डंडा उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7.5 सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय सुरक्षा इयूटी पर रहते हुए अपनी कमर के ऊपर, परिधान के बाहरी ओर जारी किया गया फोटो-पहचान पत्र विशिष्ट तरीके से पहनेगा और प्रदर्शित करेगा।
- 7.6 वर्दी के पैरामीटर पी.एस.ए.आर.ए. 2005 के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

8. सेवा प्रदाता द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण

8.1 सेवा प्रदाता यह स्निश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.संगठन के बीच सहमत मौजूदा कार्य निर्देशों के अनुसार तैनात व्यक्ति के सही प्रदर्शन को स्निश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा स्रक्षा पर्यवेक्षक का उपयोग ना किया जा रहा हो, सेवा प्रदाता को तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

करना होगा।

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- 8.2 सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा दी गई आवश्यकता के अनुसार पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा। पर्यवेक्षक को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के निर्देशों के अन्सार काम
- 8.3 सेवा प्रदाता प्रशासन, अधीक्षण और व्यवस्थाओं से जुड़ी ऐसी सभी सुरक्षा सेवाओं, कृत्यों, मामलों और चीजों को यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार और ऐसे निर्देशों के अनुसार करेगा, जिन्हें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. समय-समय पर जारी कर सकता है, और जिन पर दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति हो गई है।
- 8.4 सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा सौंपी गई सभी संपत्ति और उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8.5 सेवा प्रदाता एक समन्वयक को नामित करेगा जो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के साथ नियमित बातचीत के लिए जिम्मेदार होगा ताकि तैनात व्यक्तियों की इष्टतम सेवाओं का बिना किसी व्यवधान के लाभ उठाया जा सके।

9. काम के घंटे और रिपोर्टिंग समय

कर्मियों को आवश्यक दस्तावेज / निर्देश एकत्र लेने और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा अनुमोदित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शिफ्ट शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के स्रक्षा कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के काम के घंटे और दिन संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के मौजूदा लागू नियमों के अनुसार होंगे। हालांकि उन्हें छुट्टियों के दौरान और कार्य की आवश्यकता पर काम करना पड़ता है। तैनात कर्मियों की छ्ट्टी लेने की स्थिति में और यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा आवश्यक हो, तो पारस्परिक समझ के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा उपयुक्त विकल्प प्रदान किए जाएंगे। तैनात कर्मियों के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, सेवा प्रदाता त्रंत तैनात कर्मियों को बदल देगा ताकि सेवा का स्तर बनाए रखा जा सके। कर्मियों की तैनाती से पहले एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. और विक्रेता के बीच काम करने की शिफ्ट (दिन और रात की शिफ्ट सहित), यदि कोई हो, और दैनिक काम के घंटों पर परस्पर सहमति ली जाएगी। कर्मचारियों की उपस्थिति सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में और/या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रणाली पर दर्ज की जाएगी। यदि जोर दिया एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. दवारा उपलब्ध कराया जाएगा और सेवा प्रदाता तैनात स्रक्षा कर्मियों को इसकी सुगमता प्रदान करेगा। नियुक्त व्यक्तियों को सौंपे गए कार्य संभालने के दौरान विनम्न, सौहार्दपूर्ण और कुशल होना चाहिए और उनके कार्यों से

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

स्वारथ्य अनुसंधान विभाग, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

सदभावना को बढ़ावा मिलना चाहिए और निगम या कार्यालय की छवि को बढ़ाना मिलना चाहिए। सेवा प्रदाता तैनात व्यक्तियों की ओर से अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।

10. शारीरिक मानक और चिकित्सा जांच

- 10.1 तैनात स्रक्षा कर्मचारी निय्क्त या नियोजित होने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करता है। इसलिए सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी तैनात स्रक्षा कर्मचारी पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी को सौंपे गए कार्य के लिए स्रक्षा कर्मियों की फिटनेस स्निश्चित करने के लिए एजेंसी के रोल में शामिल होने के समय अपने कर्मचारियों की चिकित्सा जांच करवानी चाहिए और पी.एस.ए.आर.ए. के तहत निर्धारित वार्षिक चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। इसका एक रिकॉर्ड स्रक्षा कर्मियों की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाएगा। यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. अपने संगठन में तैनाती के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की एक प्रति मांगता है तो उसे यह प्रति दी जाएगी।
- 10.2 तैनात सुरक्षा कर्मी किसी भी छूत या संक्रामक रोग से मुक्त होने चाहिए। उसे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिसके सेवा के दौरान बढ़ने की संभावना हो या जो उसे सेवा के लिए अयोग्य या जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता हो।
- 10.3 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों के संबंध में कोई चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार के चिकित्सा दावों पर एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

11. लाग् अवकाश

- 11.1 सभी 7 दिनों के लिए किराए पर ली गई सेवाओं के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा कर्मियों को एक महीने में कम से कम 4 छुट्टियां दी जाएगी।
- कर्मियों आकस्मिक किया और 11.2 लागू अवकाश प्रदान जाएगा एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा किए जाने वाले भ्गतान की गणना के लिए लागू अवकाश के भ्गतान को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- 11.3 लागू होने वाली निर्दिष्ट छुट्टियों से परे, छुट्टी को बिना वेतन (एलडब्ल्यूपी) के रूप में माना जाएगा, यदि कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किया जाता है, तो किसी भी दंड के अलावा एसएलए (सेवा स्तर समझौता) में दिए गए निर्देश के अन्सार विकल्प प्रदान

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

हीं करने के लिए, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा बिल की राशि में से आवश्यक कटौती की जाएगी।

विशेष नियम और शर्ते लाग्

1. कानूनी स्थिति

- 1.1 सेवा प्रदाता की कानूनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, चाहे वह एक पंजीकृत प्रोपराइटरिशप फर्म हो/साझेदारी फर्म हो/कंपनी अधिनियम के तहतकंपनी हो, जिसके पास ऐसी गतिविधि करने के लिए सभी वैधानिक लाइसेंस/पंजीकरण होने के साथ-साथ आयकर के लिए पंजीकरण भी हो।
- 1.2 सेवा प्रदाता को प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमित के बिना किसी भी नाम की किसी अन्य एजेंसी या संगठन को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और देनदारियों को स्थानांतिरत करने, सौंपने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 1.3 सभी प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए, सेवा प्रदाता इस प्रकार तैनात कर्मियों के संबंध में विभिन्न नियमों और अधिनियमों के अर्थ में "नियोक्ता" होगा। सेवा प्रदाता द्वारा तैनात व्यक्तियों का एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के विरुद्ध नियोक्ता और कर्मचारी संबंध जैसा कोई दावा नहीं होगा।
- 1.4 सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति अनुबंध के दौरान या उसकी समाप्ति के बाद उन वेतन, अनुलाभों और अन्य सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे और न ही हकदार होंगे] जो नियमित/स्थायी किए गए कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।
- 1.5 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. किसी भी तरह से कर्मचारी या सेवा द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन और/या किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कर्मचारी के साथ-साथ सेवा प्रदाता वर्तमान में लागू और समय-समय पर लागू प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे, जिसके लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता की होगी।

2. क्षतिपूर्ति

2.1 सेवा प्रदाता दंगों/भीड़ के हमले/सशस्त्र डकैत गतिविधियों या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की संपत्ति को हुए नुकसान/तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- 2.2 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. किसी भी तरह से कर्मचारी या सेवा प्रदाता दवारा किसी भी नियम के उल्लंघन और/या किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 2.3 कर्मचारी के साथ-साथ सेवा प्रदाता वर्तमान में लागू और समय-समय पर लागू प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे, जिसके लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता की होगी।
- 2.4 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति को उनके कार्यों/कर्तव्यों के दौरान किसी भी वित्तीय न्कसान या किसी भी चोट के लिए या किसी म्आवजे के भ्गतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 3. प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण
- 3.1 स्रक्षा कर्मी सेवा प्रदाता द्वारा निय्क्त स्रक्षा कर्मी ऐसे रोजगार के दौरान उस कार्य के संबंध में या उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा निर्देशित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को कोई भी प्राप्त जानकारी को प्रकट नहीं करेंगे। हालांकि जहाँ पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम के तहत इस तरह का प्रकटीकरण आवश्यक हो या प्लिस द्वारा किसी भी जांच या जांच के संबंध में या किसी प्राधिकरण या कानून की प्रक्रिया दवारा आवश्यक हो, तो इससे छूट दी जाएगी।
- 3.2 हालांकि, सेवा प्रदाता द्वारा लगाए गए सभी स्रक्षा कर्मचारी उस एजेंसी की गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस या ऐसे प्राधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। यदि कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी स्रक्षा कर्मचारी द्वारा किसी कानून का उल्लंघन देखा जाता है, तो वह इसे अपने वरिष्ठ के ध्यान में लाएगा, जो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या सेवा प्रदाता या स्वयं के माध्यम से प्लिस को स्चित करेगा।

4. सामग्री का स्वामित्व और प्रतिधारण:

- 4.1 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. इस अन्बंध के प्रदर्शन के संबंध में सेवा प्रदाता को प्रदान सामग्री और दस्तावेजों मालिक का होगा। सेवा एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी सामग्री या दस्तावेजों का संग्रहण, उसकी प्रतिलिपि, वितरण या प्रतिधारण नहीं करेगा।
- 4.2 सेवा प्रदाता, किसी भी कारण से इस समझौते के समाप्त होने पर, या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. दवारा मांग पर, जो भी पहले हो, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. दवारा सेवा प्रदाता को प्रदान की गई किसी भी और सभी सामग्री और जानकारी को

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

वापस करेगा, जिसमें हार्डकॉपी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की प्रतियां या प्रतिकृतियां शामिल

4.3 सेवा प्रदाता या उसके द्वारा लगाए गए सुरक्षा कर्मचारी ऐसी किसी भी सामग्री, सूचना, आवेदन विवरण, उपकरण या किसी भी अन्य सामान / सामग्री को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.परिसर के बाहर एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. से पूर्व लिखित अनुमित के बिना भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचारित नहीं करेंगे, जो एएन.आई.आई.आर.एन.सी. के स्वामित्व में है।

5. परिवर्तन:

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के नोडल अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी कार्य क्षेत्र में किसी भी बदलाव हेतु कहने के लिए सक्षम होंगे। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आदेश में मात्रा को 25% तक बढ़ाने का

हकदार है और इसी तरह सुरक्षा कर्मचारियों को 25% कम कराने के लिए भी सक्षम होगा।

6. परिवहन:

सेवा प्रदाता के दायरे में आने वाली और परिवहन की आवश्यकता वाले किसी भी सामान के लिए सुरक्षा कर्मी और परिवहन के लिए परिवर्तन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

7. बीमा आवश्यकताएं

सेवा प्रदाता दुर्घटनाओं आदि के संबंध में तैनात सुरक्षा कर्मियों की किसी भी बीमा आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार होगा। कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी चोट या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु के कारण किसी भी मुआवजे या क्षति के लिए कोई दावा एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस संपित या पिरसर के लिए सुरक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए बीमा आवश्यकताएं यदि कोई हों, तो वह एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की जिम्मेदारी होगी।

- 8. न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई., ई.पी.एफ. योगदान और बिल की भुगतान प्रक्रिया के संबंध में दायित्व GeM के निर्दिष्ट सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। प्रस्तावित दर जी.एस.टी. सहित होगी। सुरक्षा कर्मियों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 9. सेवा प्रदाता एजेंसी लगाए गए सहायक कर्मचारियों के भुगतान के महीने के 15 वें दिन के भीतर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से के ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. भी जमा करेगी और केवल नियोक्ता के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को बिल प्रस्तुत करेगी।

Phone: 0291-2729713 I Fax: 0291-2720618

स्वारथ्य अनुसंधान विभाग, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- 10. ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. अंशदान के लिए कर्मचारी का हिस्सा सकल पारिश्रमिक से वसूल किया जाएगा और शेष राशि लगाए गए व्यक्तियों को दी जानी है। ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के हिस्से के जमा कराने का प्रमाण अगले महीने के 15 दिन के अंत तक एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 11. सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी तैनात व्यक्तियों को महीने के लिए भ्गतान की गई राशि का विवरण चेक नंबर या बैंक हस्तांतरण विवरण और तारीख और बैंक खाते के साथ प्रस्तुत करेगी जिससे भुगतान किया गया है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा मांगे जाने पर सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी को भ्गतान की गई राशि के समर्थन में बैंक विवरण की प्रति प्रस्तुत करनी होती है।
- 12. सेवा प्रदाता सहायक कर्मचारियों को समय पर पारिश्रमिक के भ्गतान और ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.(कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) जमा करने के लिए जिम्मेदार
- होगा, जिसमें विफल रहने पर एस.एल.ए. के अनुसार उपयुक्त दंड लगाया जाएगा और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।
- 13. सेवा प्रदाता को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के समक्ष मासिक चालान की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रसीद पत्रक के साथ जमा करनी होगी, जिसमें ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के संबंध में लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी के योगदान का विवरण जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर दिया जाएगा। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के रूप में लागू किसी भी रिटर्न के मामले में इसे भी जमा किया जाना है और प्रतिलिपि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को प्रस्त्त की जानी है।
- 14. सेवा प्रदाता को भ्गतान मासिक और त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा, जो आदेश के अन्सार प्रदान की गई सेवाओं की वास्तविक अवधि पर निर्भर करता है।
- 15. सेवा प्रदाता/कर्मचारी दवारा संविदात्मक दायित्वों के किसी भी उल्लंघन पर प्रत्येक दायित्व के लिए यथा उल्लिखित दंड लगाया जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि सेवा प्रदाता ने प्ष्टि की है कि जब भी जुर्माना देय होगा, उसे एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा सेवा प्रदाता के भ्गतान में से काट लिया जाएगा।
- 16. प्रकल्प/सौंपे गए कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा मूल रूप से यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के उपयुक्त प्राधिकारी के अन्मोदित किए जाने पर यात्रा/दैनिक भत्ता का सीधे भ्गतान किया जाएगा।

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- 17. जी.एस.टी. को छोड़कर सभी लागू कर और शुल्क सेवा प्रदाता द्वारा देय होंगे और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. इसके संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। सेवा प्रदाता जी.एस.टी. का भ्गतान करेगा क्योंकि कीमत में जी.एस.टी. शामिल है।
- 18. सेवा प्रदाता तैनात कर्मियों के लिए मासिक वेतन/मजदूरी आदि जैसी उनकी पात्रताओं के लिए नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करेगा और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किए गए वेतन का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। पिछले माह के वेतन वितरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।
- 19. यदि सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बिल जमा करने में उस महीने के अंतिम दिन से 15 दिनों से अधिक की देरी होती है जिसमें सेवाएं प्रदान की गई हैं, तो कर प्राधिकारियों को ब्याज/जुर्माने के भुगतान की संपूर्ण देयता संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- 20. संविदा अविध के दौरान किसी भी आधार पर कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी के भुगतान में वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 21. एनआईआईआरएनसीडी को प्रदान किए जाने वाले घटकों का विवरण
 - एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. अपने क्षेत्र में लागू अधिसूचना के अनुसार उस श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करेगा जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं।
- 22. कुल मूल्य में उल्लिखित घटकों में न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई., ई.पी.एफ., प्रशासन शुल्क और जी.एस.टी. शामिल हैं।
- 23. बोनस अधिनियम के अनुसार बोनस जो वर्तमान में एक महीने का मूल वेतन है (रुपये 7000/- से कम नहीं) जो न्यूनतम मजदूरी का 8.33% या 7000/- रुपये मासिक भुगतान होता है, वह भी एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा देय होगा। बोनस उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनका न्यूनतम वेतन 21000/- रुपये से कम है। प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार यदि बोनस दरों में कोई बदलाव होता है तो वह लागू होगा। बोनस केवल अपेक्षित कार्य दिवसों को पूरा करने और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों के लिए देय होगा।
- 24. केंद्रीय श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- 25. सेवा प्रदाता इस प्रकार निम्नलिखित घटकों के पर सेवा शुल्क और विशेष भता, यदि कोई हो, के रूप में उद्धृत करेगा।

न्यूनतम वेतन + ई.एस.आई. + ई.पी.एफ. + पी.एफ. प्रशासन शुल्क + जी.एस.टी. (न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. घटक पर), एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

प्रदान किया जाता है और बाकी (एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. दवारा प्रदान किए गए घटक पर जी.एस.टी.) पार्टी दवारा जोड़ा जाता है।

- 26. अन्बंध अविध के दौरान लागू कानूनों के अन्सार न्यूनतम मजदूरी में किसी भी बदलाव के मामले में, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. सेवा प्रदाता को अनुबंध में उल्लिखित राशि से वेतन में अंतर का भुगतान आनुपातिक आधार पर करेगा। इसलिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि लागू होगी और अन्बंध में मूल्य राशि को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के कारण वृद्धि की सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
- 27. प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार लागू बोनस एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. दवारा देय है।
- 28. अन्बंध की लागत प्रारंभिक अन्बंध अविध के लिए मान्य होगी और इस अविध के दौरान एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा न्यूनतम वेतन संशोधन के अलावा किसी भी मूल्य वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 29. भ्गतान अन्बंध के अन्सार और प्रासंगिक दंड, यदि कोई हो, की कटौती के बाद किया जाएगा। सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को पिछले महीने में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुबंध (मासिक) में व्यवस्था के अनुसार बिल भेजेगा। भुगतान सभी प्रकार से पूर्ण बिल के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर सेवा प्रदाता के बैंक खाते में
- क्रेडिट करने के द्वारा किया जाएगा। सेवा प्रदाता सही बैंक खाता संख्या और बैंक के अन्य विवरण प्रदान करेगा ताकि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. भ्गतान को सीधे खाते में जमा कर सके। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. सेवा प्रदाता को बिल के अनुसार सभी देय राशि का भ्गतान करेगा, जो विवाद के अधीन नहीं हैं, एक वैध बिल की प्राप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर, जो इस समझौते के संदर्भ में सभी संबंधित का अनुपालन करता है; भुगतान किसी भी कमी के अधीन होगा जैसे कि जुर्माना, वैधानिक कटौती, आदि। नोट: वास्तविक भ्गतान प्रदान की गई सेवा के अन्सार और लॉग शीट में उल्लेखित किए गए विवरण से भिन्न हो सकता है।

30. वैधानिक अनुपालन

सेवा प्रदाता पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम आदि का पालन करेगा जैसा कि सेवाओं को शुरू करने के लिए नियोजित स्रक्षा कर्मियों के लिए समय-समय पर लागू होते हैं।

31. सामान्य वैधता से पहले अन्बंध की समाप्ति

यदि सेवा प्रदाता बिना किसी नोटिस के निर्दिष्ट वारंट रद्दीकरण के अलावा समझौते के संदर्भ में चूक करता है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के लिए सेवा प्रदाता को 15 दिन

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

का समय देकर अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस जारी करना वैध होगा। सेवा प्रदाता नोटिस अविध के दौरान एक प्रतिनिधित्व कर सकता है और चूक को दूर करने के लिए कदम उठा सकता है और यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. इससे संतुष्ट है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. नोटिस वापस लेने का निर्णय ले सकता है। यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता है तो अनुबंध नोटिस अविध की समाप्ति पर यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अनुबंध समाप्ति नोटिस एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा सेवा प्रदाता के पते पर जारी किया जाएगा जैसा कि समझौते में दिखाया गया है। फिर भी, यदि सहमत समय के भीतर संसाधनों को तैनात नहीं करने, गंभीर सुरक्षा चूक, सेवा प्रदाता संचालन में अनियमितता, पी.एस.ए.आर.ए. जैसे आवश्यक लाइसेंस की वैधता की समाप्ति और एस.एल.ए. के उल्लंघन के लिए संचयी दंड 10% से अधिक हो जाता है तो अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसे में कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि अनुबंध की समाप्ति के मामले में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. अनुबंध के शेष भाग के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता की सेवाओं को शामिल करता है, तो सेवा प्रदाता के जोखिम और लागत के अलावा अन्य कार्यों जैसे सुरक्षा जमा का नकदीकरण और प्रशासनिक कार्रवाई आदि की जाएगी।

32. मालिकाना अधिकार और क्षतिपूर्ति:

सेवा प्रदाता स्वीकार करता है कि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. का व्यावसायिक डेटा और अन्य मालिकाना जानकारी या सामग्री, चाहे एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा विकसित की गई हो या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा किसी तीसरे पक्ष के साथ लाइसेंस समझौते के अनुसार उपयोग की जा रही हो, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के लिए गोपनीय और स्वामित्व है; और सेवा प्रदाता मालिकाना जानकारी की सुरक्षा के लिए और उसके अनिधकृत उपयोग या प्रकटीकरण को रोकने के लिए उचित देखभाल का उपयोग करने के लिए सहमत है, जो कि सेवा प्रदाता द्वारा अपनी स्वामित्व वाली जानकारी की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने से कम नहीं होगा। सेवा प्रदाता यह मानता है कि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की सद्भावना अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी निर्भर करती है कि सेवा प्रदाता पर इस तरह की मालिकाना जानकारी को गोपनीय रखे और सेवा प्रदाता द्वारा उसी के अनिधकृत प्रकटीकरण से एन.आई.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को और इस कारण से सेवा प्रदाता के कर्तव्यों के पालन में नुकसान हो सकता है। सेवा प्रदाता के समक्ष इस तरह की मालिकाना जानकारी आ सकती है, भले ही सेवा प्रदाता ने

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

उक्त स्वामित्व वाली जानकारी के निर्माण के लिए की गई सेवाओं में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया हो या प्रस्तुत नहीं किया हो और इस समझौते के लिए आवश्यक सेवाओं के तहत वह इस जानकारी के अन्य कर्मचारियों तक की पहुंच को सीमित कर देगा। सेवा प्रदाता ऐसी जानकारी का उपयोग केवल उक्त सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजन के लिए करेगा।

33. दंड और समाप्ति

सेवा प्रदाता इस समझौते के नियमों और शर्तों के ईमानदारी से अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा दायित्वों के गैर-अनुपालन के मामले में, एस.एल.ए. के अनुसार प्रति चूक पर जुर्माना लगाया जाएगा और एक ही घटना के प्रति लगातार तीन चूक के मामले में, अनुबंध रद्द होने के अधीन होगा। तथापि, समय पर सेवा प्रदान न करना, समय पर कार्य प्रारंभ न करना, मौजूदा कानूनों और वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करना, एक प्रमुख चूक के रूप में माना जाएगा और अनुबंध को बिना कोई और नोटिस दिए त्रंत रद्द कर दिया जाएगा।

34. सुरक्षा सेवाओं में विभिन्न भूमिकाओं और सेवा व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है जिसके लिए उन्हें काम पर रखा जा सकता है। एक सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या 7 है और घटना आधारित है।

कार्मिक की आवश्यक संख्या

क्रमांक	पदनाम	आवश्यक संख्या	ड्यूटी शेड्यूल
1	सुरक्षा पर्यवेक्षक	1	सामान्य शिफ्ट
2.	बिना सशस्त्र पुरुष सुरक्षा प्रहरी	12	चौबीसों घंटे अलग-अलग शिफ्ट में
	बिना सशस्त्र महिला सुरक्षा प्रहरी	1	सामान्य शिफ्ट

1. कार्मिक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

क्रमांक	भूमिका	वांछित योग्यता	जिम्मेदारियां
1.	सुरक्षा पर्यवेक्षक	औद्योगिक सुरक्षा, अग्निशमन	 संगठन में सुरक्षा संबंधी सभी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के साथ- साथ सुरक्षा गार्डों और अन्य सुरक्षा
		चाहिए।	संबंधी व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

 बिना सशस्त्र 	कमान और नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। शारीरिक मानकों और पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों के अनुसार मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। 3. न्यूनतम 12 वीं पास होना चाहिए। 4. अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 5. 5 वर्षों का अनुभव।	को पूरा करने में सलाह और सहायता करने की आवश्यकता होगी। 2. आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) का स्वागत करने, उनका मार्गरक्षण (एस्कॉर्ट) करने, उनको देखने की प्रोटोकॉल गतिविधियों को क्रियान्वित करने या पर्यवेक्षण करने में और पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियों के साथ संपर्क करने सक्षम होना चाहिए। 3. सभी कार्य दिवसों में सामान्य शिफ्ट में उपलब्ध होना चाहिए। 1. चौबीसों घंटे काम करने की
पुरुष सुरक्षा प्रहरी	औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। 2. उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसने पुलिस और होमगाई में सेवा की हो। 3. न्यूनतम 10 वीं पास 4. हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 5. पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों के शारीरिक मानकों और मेडिकल फिटनेस की आवश्यकताओं को पुरा करते हुए	शिफट। 2. किसी भी अनिधकृत प्रवेश, डकैती, चोरी आदि से परिसर की सुरक्षा की गतिविधि करना। 3. किसी अन्य व्यक्ति या संपित या दोनों को निजी सुरक्षा प्रदान करना। 4. जिस संगठन में वह कार्यरत है, उसकी गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

3.	बिना सशस्त्र	1. सुरक्षा संबंधी मामलों,	1. सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध
	महिला सुरक्षा	औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध	होना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित
	प्रहरी	कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।	किया जाना चाहिए कि उन्हें
		2. उस व्यक्ति को वरीयता दी	साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और
		जाएगी जिसने पुलिस और	उनकी शिफ्ट बदली जाए।
		होमगार्ड में सेवा की हो।	किसी भी अनधिकृत प्रवेश, डकैती,
		3. न्यूनतम 10 वीं पास	चोरी आदि से परिसर की स्रक्षा की
		4. हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय	गतिविधि करना।
		भाषा का ज्ञान होना चाहिए।	2. किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या
		5. पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम	दोनों को निजी स्रक्षा प्रदान करना।
		और नियमों के शारीरिक मानकों	5
		और मेडिकल फिटनेस की	उसकी गतिविधियों से संबंधित किसी
		आवश्यकताओं को पुरा करते हुए	भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को
		अच्छी काया और व्यक्तित्व	•
		होना चाहिए।	4. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के
		6. न्यूनतम अन्भव 3 वर्ष	दौरान देखे गए किसी भी कानून के
		" J	उल्लंघन के बारे में पर्यवेक्षक के
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

अतिरिक्त जिम्मेदारियां:-

1. ऊपर उल्लिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अलावा निम्नलिखित भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियों का हिस्सा होंगे।

ध्यान में लाना।

- (i) जीवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना। परिसर में व्यक्ति और सामग्री की चोरी, छुट-पुट चोरी, आग आदि से सुरक्षा।
- (ii) प्रवेश / निकास बिंदुओं पर भौतिक सुरक्षा, कार्यालय समय के दौरान और बाद में आगंतुकों की तलाशी / जाँच के लिए उत्तरदायी, आगंतुकों की स्क्रीनिंग / निर्देशन। सामान्य रूप से और विशेष अवसरों के दौरान आगंतुक प्रबंधन। संबंधित अधिकारियों / रहने वालों के लिए आगंतुकों का मार्गदर्शन करना, प्रवेश विनियमित करना। परिसर के अंदर और बाहर व्यक्तियों/वाहनों की पहुंच को नियंत्रित करना और अवांछित आगंतुकों/विक्रेताओं के प्रवेश को विनियमित करना।
- (iii) गेट पास की जांच, सामग्री के प्रवेश और निकास की अनुमित देना और वाहनों के प्रवेश और निकास को तदनुसार विनियमित करना। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा

Phone: 0291-2729713 I Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित जांच के साथ पुरुषों और सामग्री, वाहनों आदि की आवक और जावक आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

- (iv) पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामान्य क्षेत्रों और उसके आस-पास गश्त और सुरक्षा करना। गाय, कुत्ते आदि जैसे आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकना। चौबीसों घंटे स्थलों पर गश्त करना। यह सुनिश्चित करना कि बूम बैरियर और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की निगरानी की जाए और वे परिचालन की स्थिति में हों।
- (v) भवन की आपातकालीन निकासी के दौरान रहने वालों की सहायता करना। दुर्घटनाओं और बम खतरों जैसे संकट प्रबंधन के दौरान प्रभावी भागीदारी। आपात स्थिति की तैयारी के लिए लगातार अभ्यास में शामिल हों। आपात स्थिति और आपदाओं के मामले में आपदा प्रबंधन को संभालना।
- (vi) लिफ्टों में फंसे यात्रियों का बचाव अभियान, किसी भी दुर्घटना या चिकित्सा आपात स्थिति में रहने वालों की सहायता करना। आग लगने की स्थिति में स्थिति से निपटना
- (vii) आपदा और आपात स्थिति के मामले में उपयुक्त एजेंसियों के साथ संपर्क करना और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ उत्कृष्ट संपर्क और संपर्क बनाए रखना
- (viii) किसी भी अपराध या हिंसा के मामले में शिकायत / प्राथमिकी दर्ज कराना और किसी भी संबंधित मामले में पुलिस और अन्य स्रक्षा एजेंसियों को उनकी जांच में सहायता करना।
- 2. निर्दिष्ट भूमिकाओं के प्रदर्शन के संबंध में कोई अन्य जिम्मेदारी, हालांकि विशेष रूप से ऊपर उलीखित नहीं की गई हो, को भी सुरक्षा कर्मी की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

निदेशक

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

No. Dmrc/Estt/store/maintenance/BC Minutes/2012E0601 voll. III Dated 29.10.2021

Cost of Tender Document Rs. 500/-

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in Website: https://niirncd.icmr.org.in/

TENDER DOCUMENT

FOR

SECURITY PERSONNEL SERVICE

AT

NATIONAL INSTITUTE FOR IMPLEMENTATION RESEARCH ON NON-COMMUNICABLE DISEASE, JODHPUR

Time schedule for tender process:

Date of publication of tender notification on official website and CPP portal	29.10.2021
Last date for Submission of tender document	24.11.2021 at 5:30 PM
Date and Time of Bid opening	25.11.2021 at 11:00 AM
Date and Time of Technical Bid Evaluation	will be intimated accordingly

• Only online bid through GeM will be accepted.



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

INTRODUCTION:

The National Institute for Implementation Research in Non Communicable Diseases came into existence on 07th December 2019. The institute is located in Jodhpur and it replaces the erstwhile Desert Medicine Research Centre. The institute has state of the art facility to conduct basic laboratory based research in its microbiology, biochemistry and vector biology laboratories. The institute is acquiring personnel and facilities for strengthening its capacity for conducting implementation research in non- communicable diseases. At present, the institute has a set of 10 dedicated scientists, 9 technical experts, ably supported by 28 administrative and support staff. The thrust areas of research are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, environmental health, nutritional disorders, cancers, injury & trauma, mental illnesses including substance abuse, genetic diseases and other non-communicable diseases of public health significance in India. The institute aspires to carry out implementation research in the thrust areas, provide training for capacity building in implementation research in other academic and research institutions, develop behavior change communication materials and models for tackling risk factors of various non communicable diseases. The institute heartily welcomes collaboration with institutions and individuals with interest in augmenting the thrust areas.

NOTICE INVITING TENDER:

FOR SELECTION OF AGENCY FOR PROVIDING PERSONNEL FOR SECURITY SERVICE AT NIIRNCD, JODHPUR

The Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur (NIIRNCD, JODHPUR) invites Bid through Gem from reputed and experienced agencies for providing personnel for security service.. Any future clarification and/or corrigendum(s) shall be communicated through the website https://niirncd.icmr.org.in/ and Gem only.

SCOPE OF WORK

- 1. To Provide Security Services at NIIRNCD, Jodhpur
- 2. The purpose of this service is to facilitate implementation of Security Measures at the Institute premises. The service provider would provide required equipment and personnel for the mentioned shifts as per the requirements of the NIIRNCD.

Email: store-niirncd@icmr.gov.in

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

SERVICE PROVIDER'S OBLIGATIONS:-

1. Employment of man power by service provider:

- 1.1 Service provider providing the security services shall not employ or engage any person unless he or she is a citizen of India or a citizen of such other country as permitted to be employed in terms of Government rules and regulations in force.
- 1.2 Service provider shall employ only man power who has completed eighteen years of age and not above 65 years of age .Security agency shall only employ man power who satisfied the service provider about his character and antecedents and has completed the prescribed security training .Service provider shall only engage man power fulfilling such physical standards as may be prescribed in the PSRA 2005 and rules . Further man power shall satisfy any other conditions as may be prescribed in relevant rules.
- 1.3 No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct, or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organization, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged by the service provider.
- 1.4 Service provider, while employing a person shall give preference to a person who has served as a member in Army ,Navy and Air force or other central paramilitary forces , Central Police forces , even for posts which are not specifically indicated as that of ex service man in the roles and responsibilities.
- 1.5 The antecedents of security staff deployed shall be verified by the service provider from local police authority and an undertaking in this regard is to be submitted to the NIIRNCD and NIIRNCD shall ensure that the service provider complies with the provisions.
- 1.6 The service provider shall deploy his personnel only after obtaining the NIIRNCD approval upon duly submitting curriculum vitae (cv) and police verification details of personnel NIIRNCD shall be informed at least one week in advance and service provider shall be required to obtain NIIRNCDs approval for all such changes along with their CVs.
- 1.7 The NIIRNCD shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable with proper reasoning or otherwise and similarly the Service Provider reserves the right to remove any personnel with prior intimation to the NIIRNCD, emergencies, exempted

2. Registers to be maintained by Service provider

- 2.1 Service Provider shall maintain a register containing name and addresses of the persons managing the private security agency, names, addresses, photographs and salaries of the security personnel and supervisors under its control and such other particulars as may be prescribed under PSRA act.
- 2.2 Service provider will maintain a register on which day today employment of personnel with NIIRNCD organization will be entered and same will be countersigned by the authorized official of the NIIRNCD .While raising bill the deployment particulars of the personnel engaged during the month, shift wise should be shown to NIIRNCD. NIIRNCD may call for such information as it considers necessary from service provider.
- 2.3 The Service Provider shall maintain all statutory registers under the Law and shall produce the same, on demand to the NIIRNCD or any other authority under Law.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

3. Issue of photo identity card

- 3.1 Every security man power deployed by the service provider shall be issued a photo identity card, by the service provider.
- 3.2 The photo identity card shall be issued in such form as may be prescribed by the NIIRNCD organization and complying with PSARA Act and rules. Every security man power shall carry on his person the photo identity card issued under and shall produce it on demand for inspection by the NIIRNCD or any other officer authorized by same.

4. Requirements of Licenses

- 4.1 Service provider shall be holding a valid license under the provision of **Private Security Regulations Act (PSARA)** providing for operation in the respective State or Union territory where services are being offered. Service provider shall ensure that all the relevant licenses/registrations/permissions which may be required for providing the services are valid during the entire period of the contract failing so shall attract the appropriate penalties .The documents relevant in this regard shall be provided by the service provider to the NIIRNCD on demand.
- 4.2 The service provider shall comply with all the legal requirements for obtaining license under Contract Labor Regulations and Abolition Act 1970 if any at his own part and cost. The requirement shall be depending up on the number of persons engaged for the organization in terms of the provisions of the relevant act.
- 4.3 The service provider shall maintain all statutory registers required to be maintained as per licence provisions under the law and shall produce same on demand to the NIIRNCD or any other authority under the law.

5. Training

The Service Provider shall have his own Establishment/set up/mechanism/Training institute recognized under PSARA 2005 or have tie up with institutions recognized in terms of PSARA 2005 to provide training for security man power with them to ensure correct and satisfactory performance of his/her liabilities and responsibilities. Only such man power who have undergone training and holding certificate should be deployed under the contract, The training shall be for a minimum period as specified in the PSARA act and in terms of the detailed training syllabus as prescribed in the act. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only as per provisions in the PSARA act.

6. Conduct of the security man power deployed

- 6.1 The security personnel shall not accept any gratitude or reward in any form.
- 6.2 Under the terms of their employment agreement with the Service Provider the Security staff shall not do any professional or other work for reward or otherwise either directly or indirectly, except for and on behalf of the Service Provider.
- 6.3 The personnel engaged by service provider have to be extremely courteous with very pleasant mannerism in dealing with the NIIRNCD Staff and should project an image of utmost discipline. NIIRNCD shall have right to have any person removed in case of its staff complaints or as decided by representative of the NIIRNCD if the person is not performing the job satisfactorily or otherwise. The Service Provider shall have to arrange suitable replacement in all such cases. Security man power engaged by the Service Provider shall not take part in any staff union and association.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

6.4 The persons deployed shall, during the course of their work be privy to certain confidential documents and information which they are not supposed to divulge to third In view of this, they shall be required to take oath of confidentiality and breach of this condition shall make Service Provider as well as the person deployed liable for penal action under the applicable laws besides, action for breach of contract.

7. Uniform and Badges

- 7.1 Service provider shall ensure that all security man power shall put on arms badge distinguisher the Agency for which they are working, shoulder or chest badge to indicate his role or function. Man power employed as Security guards shall, have whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket,. Shoes with eyelet and laces, headgear which may also carry the distinguisher mark of the service provider.
- 7.2 The clothes worn by the security man power while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In Particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
- 7.3 Every man power functioning as security guard will carry a notebook and writing instrument with him.
- 7.4 Every security person shall be provided one good quality torch and one baton.
- 7.5 Every man power functioning as security guard while on active security duty will wear and display photo- identity card issued on the outer most garment above waist level on his person in s conspicuous manner.
- 7.6 Parameters of the uniform shall conform to provisions of PSARA 2005.

8. Monitoring and Supervision by the service provider

- 8.1 Service provider shall ensure that adequate supervision will be provided to ensure correct performance of the man power deployed in accordance with the prevailing assignment instructions agreed upon between the service provider and NIIRNCD organization. Even if security supervisor is not availed by the NIIRNCD organization service provider should keep track of performance of the staff deployed and give necessary support to ensure good performance.
- 8.2 The Service Provider will deploy supervisors as per the need given by the NIIRNCD. The supervisor shall be required to work as per the instructions of NIIRNCD.
- 8.3 The Service Provider shall do and perform all such Security services, acts, matters and things connected with the administration, superintendence and conduct of the arrangements as per the direction enumerated herein and in accordance with such directions, which the NIIRNCD may issue from time to time and which have been mutually agreed upon between the two parties.
- 8.4 The Service Provider shall be responsible to maintain all property and equipment of the NIIRNCD entrusted to it.
- 8.5 The Service Provider shall nominate a coordinator who shall be responsible for regular interaction with the NIIRNCD so that optimal services of the persons deployed could be availed without any disruption.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

9. Working hours and Reporting Time

The personnel will have to report to the NIIRNCD's security office at least 30 minutes in advance of the commencement of the shift for collecting necessary documents/instructions, and to complete all other required formalities as approved by the NIIRNCD. The working hours and days of the outsourced employees will be as per the existing applicable rules of the respective Central/State Government However; they have to work on holidays and on demand of work. In an event of deployed personnel availing leave and if required by NIIRNCD suitable substitute(s) shall be provided by service provider as per mutual understanding with Consequent to poor performance of deployed personnel, service provider shall immediately replace the deployed personnel thereby maintaining service levels and Working shifts (includes day and night shift) if any, and daily working hours shall be mutually agreed upon between NIIRNCD and seller prior to deployment of personnel. The attendance of the employees will be entered in the register provided by the Service Provider and/or in the Aadhaar based Biometric attendance system at the NIIRNCD's In case biometric system insisted; same is to be made available by NIIRNCD and access to be provided to the security persons deployed by service provider. The persons deployed should be polite, cordial and efficient while handling the assigned work and their actions should promote good will and enhance the image of the Corporation or office The Service Provider shall be responsible for any act of indiscipline on the part of the persons deployed.

10. Physical standards and Medical check up

- 10.1 The security man power deployed shall be eligible for being engaged or employed if he or she fulfills the standards of physical fitness as specified in the PSARA Act 2005. Service provider is therefore required to ensure that all deployed man power fulfill the requirements specified in PSARA Act. Service provider Agency should get medical check-up of its staff at the time of their induction in the rolls of the agency to ensure their fitness for the job assigned and annual medical check-ups to be done as prescribed under PSARA. A record of the same shall be maintained in the personal file of the security personnel. In case NIIRNCD demands for a copy of medical fitness certificate at time of deployment to their organization same shall be given.
- 10.2 The security man power deployed should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He or she should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- 10.3 No medical facilities or reimbursement or any sort of medical claims thereof in respect of employees provided by the Service Provider will be entertained by the NIIRNCD.

11. Applicable Leave

- 11.1 In case of services hired for all 7 days also it shall be ensured that service personnel are given at least 4 holidays in a month.
- 11.2 The applicable casual leave is to be provided to the personnel and the payment for the applicable leave also shall be taken in to account for calculation of the payment to be made by the NIIRNCD.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

11.3 Beyond specified leaves as applicable, leave will be treated as leave without pay (LWP) for which necessary deduction will be made by the NIIRNCD in the billed amount if no replacement is provided besides any penalty for not providing substitutes as indicated in SLA(Service level agreement).

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE

1. Legal Status

- 1.1 The Service Provider should have a legal status, whether it will be a registered Proprietorship Firm/Partnership Firm/Company under Companies Act having legal entity having all statutory licenses/registration for carrying out such activity as well has have registration for income tax.
- 1.2 The Service Provider shall not be allowed to transfer, assign, pledge or subcontract its rights and liabilities under this Agreement to any other agency or organization by whatever name be called without the prior written consent of the Authority.
- 1.3 For all intents and purposes, Service Provider shall be the "Employer" within the meaning of different Rules & Acts in respect of personnel so deployed. The persons deployed by the Service Provider shall not have any claim whatsoever like employer and employee relationship against the NIIRNCD.
- 1.4 The persons deployed by the Service Provider shall not claim nor shall be entitled to pay, perks and other facilities admissible to regular / confirmed employees during the currency or after expiry of the Agreement.
- 1.5 The NIIRNCD will in no way be responsible for the violation of any rules and/or infringement of any other laws from the time being in force, either by the employee or by the Service. The employees as well as the Service Provider shall comply with the relevant rules and regulations applicable at present and as may be enforced from time to time, for which the NIIRNCD would not be liable or responsible in any manner. The onus of compliance to all the applicable laws/acts/rules shall only rest with the Service Provider.

2. Indemnity

- 2.1 The Service Provider will not be held responsible for the damages/sabotage caused to the property of the NIIRNCD due to the riots/mobs attack/armed dacoit activities or any other event of force majeure.
- 2.2 The NIIRNCD will in no way be responsible for the violation of any rules and/or infringement of any other laws from the time being in force, either by the employee or by the Service Provider.
- 2.3 The employees as well as the Service Provider shall comply with the relevant rules and regulations applicable at present and as may be enforced from time to time, for which the NIIRNCD would not be liable or responsible in any manner. The onus of compliance to all the applicable laws/acts/rules shall only rest with the Service Provider.
- 2.4 The NIIRNCD shall not be responsible for any financial loss or any injury to any person deployed by the Service Provider in the course of their performing the functions/duties, or for payment towards any compensation.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

3. Disclosure of Information related to services rendered

- 3.1 Man power engaged by the Security man power service provider shall not divulge any information acquired by him or her during such employment with respect to the work which he or she has been assigned to anyone other than the NIIRNCD organization or to such person as the NIIRNCD organization directs .However such disclosure as may be required under PSARA Act or in connection with any inquiry or investigation by the police or as may be required by an authority or process of law shall be exempted from this.
- 3.2 All security man power engaged by the service provider shall however render necessary assistance to the police or to such authority in the process of any investigation pertaining to the activities of that agency. If violation of any law is noticed by any security man power during the course of discharge of duties, he or she shall bring it to the notice of superior, who in turn shall inform the police either through NIIRNCD or service provider or on his own.

4. Ownership and retention of Material:

- 4.1 NIIRNCD shall own the material and documents provided to the Service Provider if any in connection with performance of this contract. Service Provider shall not, without the prior written consent of NIIRNCD store, copy, distribute or retain any material or Documents.
- 4.2 Service Provider shall, upon termination of this agreement for any reason, or upon demand by NIIRNCD, whichever is earliest, return any and all material and information provided to Service Provider by NIIRNCD, including any copies or reproductions, both hardcopy and electronic.
- 4.3 The Service Provider or man power provided shall not carry and/or transmit any material, information, application details, equipment or any other goods/material in physical or electronic form, which are proprietary to or owned by NIIRNCD, out of NIIRNCD premises without prior written permission from NIIRNCD.

5. Changes:

Nodal officer of the NIIRNCD or any other authorized official shall be competent to ask for any changes in the scope of work. NIIRNCD is entitled to increase the quantum of order regarding number of man power by 25% and similarly shall be competent to reduce the man power also by 25%.

6. Transportation:

The responsibility of arranging commutation for the man power and transportation of any items which are in the scope of service provider and requiring the transportation shall be responsibility of service provider.

7. Insurance requirements

Service provider shall be responsible for any insurance requirements for the man power deployed regarding accidents etc. No claim for any compensation or damages on account of any injury or death of man power while performing the duties shall be entertained by the NIIRNCD organization Insurance requirements if any for the

Phone: 0291-2729713 I Fax: 0291-2720618 Email: store-niirncd@icmr.gov.in



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- property or premises for which security is offered shall be the responsibility of the NIIRNCD.
- 8. Obligation regarding minimum wages, ESI,EPF contributions and billing Payment Procedure shall be in as specified in the General Terms and Conditions of GeM. The rate offered shall be including GST. Payment shall be made on the basis of the number of security personnel engaged.
- 9. The Service Provider Agency shall also deposit EPF and ESI of both employer and employee share within 15th day of the month of payment for the support staff engaged from their account and prefer the bill to the NIIRNCD for reimbursement of employer share only.
- 10. Employee share of EPF and ESI contribution shall be recovered from the gross remuneration & balance amount is to be released to the persons employed. Proof of deposit of both employers share and employees' share of ESI & EPF shall be submitted to the NIIRNCD by the end of 15 day of succeeding month.
- 11. The Service Providing Agency shall furnish statement of amount paid for the month to the persons deployed along with cheque number or bank transfer details and date and Bank account from which the payment has been made. Service Providing agency is to furnish copy of bank statement in support of amount paid as and when required by NIIRNCD.
- 12. The Service Provider shall be responsible for timely payment of take home remuneration to the supporting staff and deposit of EPF and ESI (both employee and employer share), failing which suitable penalties as per SLA and any other actions as per existing rules and regulations shall be taken.
- 13. The Service Provider shall submit before the NIIRNCD, one copy of the monthly challan with Electronic Challan Cum receipt sheet indicating break down of contribution of each and every hired employee regarding EPF and ESI within 7 days from the date of filing. In case of any return in the form of monthly, quarterly and annual returns applicable same also to be filed and copy to be furnished to NIIRNCD.
- 14. The payment to the Service Provider will be made on monthly and quarterly basis, depending upon the actual duration of the services rendered as per order.
- 15. Any violation of contractual obligations by the Service Provider/employee shall attract penalties as mentioned against each obligation. The Service Provider is deemed to have confirmed that penalty whenever becomes payable, the same shall be deducted by the NIIRNCD from the payments due to the Service Provider.
- 16. TA/DA shall be payable directly by the NIIRNCD on production of travel documents in original and approval of appropriate authority of the NIIRNCD for undertaking such travel for the project/assignment.
- 17. All applicable taxes and duties except GST, shall be payable by the Service Provider and the NIIRNCD shall not entertain any claims whatsoever with respect to the same. The Service Provider shall pay the GST as the price is inclusive of GST.
- 18. The Service Provider shall ensure payment regularly for the deployed man power to their entitlements like monthly salaries/wages etc. and submit the documentary proof of the salary paid as per the terms and conditions of the contract. Bill for the subsequent month will be paid only after submission of certificate of disbursement of wages of previous month.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

- 19. In case the submission of monthly bills is delayed by the Service Provider beyond 15 days from the last day of the month in which the services have been provided, the entire liability towards payment of interest/penalty to the tax authorities would be borne by the respective Service Provider.
- 20. Escalation towards payment of salaries / wages of the employees shall not be accepted on any ground during the contract period.

21. The Breakup of the components to be provided to the NIIRNCD

The NIIRNCD will provide Minimum Wage as per the Notification applicable in our area for the category of Resource they want to procure.

- 22. The Total Price includes Minimum Wage, ESI, EPF, Admin Charge and GST on the mentioned components.
- 23. Bonus in accordance with the Bonus Act which at present is one month basic wage (not below Rs7000/-) which comes to monthly payment 8.33% of minimum wage or Rs 7000/- Shall also be payable by the NIIRNCD. Bonus is applicable to all employees minimum wage is below Rs 21000/-. In case of any changes in the bonus rates as per relevant notifications same shall be applicable . Bonus shall be payable only to the resources completing the required number of working days and fulfilling the requirements.
- 24. Payment will be made as per the minimum wages laid down by the Central Labor Commissioner.
- 25. Service Provider will thus quote over and above the following components as a Service Charge and Special Allowance if any.

 Minimum Wage + ESI + EPF + PF Admin Charges + GST (on the Minimum Wage, ESI and EPF component), is provided by the NIIRNCD and the rest (GST on the component provided by the NIIRNCD) is added by the platform.
- 26. In case of any changes in the minimum wages as per the Applicable Laws during the Contract period, NIIRNCD shall pay the Service Provider the difference in wage from the amount mentioned in the contract on pro rata basis. Therefore the increase in minimum wages shall be applicable and contract value amount shall be considered as revised up to the extent of increase due to increase of minimum wages.
- 27. The bonus as applicable in terms of rules and regulations prevailing is payable by the NIIRNCD.
- 28. The cost of the Contract shall be valid for initial contract period and during this period no price escalation, other than minimum wages revision, shall be entertained by the NIIRNCD.
- 29. The payment shall be made as per the contract and after deduction of relevant penalties, if any. Service Provider shall raise the invoice as per the arrangement in the contract (monthly) towards the Services rendered in the previous month to the NIIRNCD. Payment shall be effected by credit into the bank account of the Service Provider within 10 days of receiving the invoice, complete in all respects. The Service Provider shall provide correct bank account number and other details of the bank to enable the NIIRNCD to credit the payment directly into the account. NIIRNCD shall pay the Service Provider all due amount as per the invoice, that are not the subject to dispute, within 10 days after receipt of a valid invoice that complies in all material respect in

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

terms of this agreement; the payment shall be subject to any reduction such as penalty, statutory deductions, etc. **Note:** Actual payment may vary as per service rendered and mentioned in log sheet.

30. Statutory compliances

Service provider shall abide by the PASRA Act, Minimum wages Act, Contract labor Act etc. as applicable from time to time for man power employed for undertaking the services.

31. Termination of contract before normal validity

In case service provider commits defaults in terms of the agreement other than those specified warranting cancellation without notice, it shall be lawful for the NIIRNCD to issue a notice of termination of the contract by giving 15 days time to service provider. Service provider can make a representation during the notice period and takes steps to remedy the defaults and if NIIRNCD is satisfied with the same, NIIRNCD can take decision to withdraw the notice. The agreement shall automatically terminate on expiry of the notice period if same is not withdrawn by NIIRNCD.

The termination notice shall be issued by NIIRNCD to the address of the service provider as shown in the agreement. However in case of instances such as not deploying resources within agreed time, serious security lapses, irregularities in service provider operations, expiry of validity of required licenses such as PSARA and in case cumulative penalty for violations of SLA reaches more than 10% contract can be terminated with immediate effect and no notice is required to be issued .

In case of termination of the contract and NIIRNCD engage the services of another service provider for the remaining part of contract the same shall be at risk and cost of the service provider besides other actions such as encashment of performance security and administrative actions etc

32. Proprietary rights and indemnity:

Service Provider acknowledges that NIIRNCD's business data and other proprietary information or materials, whether developed by NIIRNCD or being used by NIIRNCD pursuant to a license agreement with a third party are confidential and proprietary to NIIRNCD; and Service Provider agrees to use reasonable care to safeguard the proprietary information and to prevent the unauthorized use or disclosure thereof, which shall not be less than that used by Service Provider to protect its own proprietary information. Service Provider recognizes that the goodwill of NIIRNCD depends, among other things; upon Service Provider keeping such proprietary information confidential and that unauthorized disclosure of the same by Service Provider could damage NIIRNCD and by that reason of Service Provider's duties hereunder. Service Provider may come into possession of such proprietary information, even though Service Provider does not take any direct part in or furnish the services performed for the creation of said proprietary information and shall limit access thereto to employees with a need to such access to perform the services required by this agreement. Service Provider shall use such information only for the purpose of performing the said services.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

33. Penalties and Termination

The Service Provider shall be responsible for faithful compliance of the terms and conditions of this agreement. In case of noncompliance of Service obligations, penalty per default will be imposed as per SLA and in case of three Consecutive defaults against same events, the contract will be liable to be cancelled. However non delivery of service in time, not starting work in time, violation of existing laws and statutory requirements will be considered as a major default and the contract will be cancelled immediately without giving any further notice.

34. The following indicate the different roles in the security services for which hiring can be done and the qualifications and experience required for the service persons. Number of working days in a week are 7 and event based.

Ouantity Required for Personnel

S.NO.	Designation	Qty. Required	Duty Schedule
1	Security	1	General Shift
	Supervisor		
2.	Un Armed Male	12	Round the Clock in
	Security Guard		diff. shifts
	Un Armed Lady	1	General Shift
	Security Guard		

35 Roles and Responsibilities of Personnel

	35. Roles and Responsibilities of Personnel:			
S.No.	Roles	Desired Qualification	Reponsibilities	
1.	Security	1. Should have knowledge of	1. Should be required to carry out	
	Supervisor	security related matters	supervision of all security related	
		,industrial safety ,fire fighting	activities in the organization as well	
		and allied functions	as advice and assist security guards	
		2. Should be able to exercise	and other security related persons in	
		command and control over the	carrying out their duties.	
		security personal deployed	2. Should be able to carry out or	
		Physical standards and medical	supervise protocol activities of	
		fitness as per PSARA Act and	receiving, escorting, seeing VIPs to	
		Rules	and to liaise with police and other	
		3. Should be minimum 12 Pass	investigating agencies as and when	
		4. Should have knowledge of	required.	
		English, Hindi & Local	3. Should be available in general	
		Language	shift on All working days.	
		5. Experience of 5 years		
2.	Un Armed	1. Should have knowledge of	1	
	Male	Security related matters,	2. Carry out activity of protecting the	
	Security	industrial safety and allied	premises from any un authorized	
	Guard	Functions.	entry, robbery, theft etc.	
		2. Preference will be given to a	3. To provide private security to	
		person who has served in police	another person or property or both,	
		and Home Guards.	4. To render necessary assistance to	
		3. Minimum10 pass	the police in the process of any	

New Pali Road, Jodhpur, Rajasthan - 342005 (INDIA) Website: https://niirncd.icmr.org.in/

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618 Email: store-niirncd@icmr.gov.in



ICMR- National Institute for Implementation Reserach

DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

on Non-Communicable Diseases

		4. Should have knowledge of	1 0 1
		Hindi or English and local	_
		language.	which he is employed.
		5. Good physique and	Ç
		personality fulfilling	1 -
		requirements of physical	
		standards and medical fitness as	discharge of his duties
		per PSARA Act and Rules.	
		6. Minimum Experience 3 years	
3.	Un Armed	1. Should have knowledge of	
	Lady	Security related matters,	
	Security	industrial safety and allied	, ,
	Guard	Functions.	offs and shifts are rotated
		2. Preference will be given to a	Carry out activity of protecting the
		person who has served in police	premises from any un authorized
		and Home Guards.	entry, robbery, theft etc.
		3. Minimum10 pass	2. To provide private security to
		4. Should have knowledge of	
		Hindi or English and local	I
		language.	the police in the process of any
		5. Good physique and	
		personality fulfilling	
		requirements of physical	
		standards and medical fitness as	4. To bring to the notice of
		per PSARA Act and Rules	supervisor the violation of any law
		6. Minimum Experience 3 year	noticed during the course of
	Additional Des		discharge of his duties

Additional Responsibilities:-

- 1. In addition to roles and responsibilities indicated above following shall also be part of responsibilities of security man power.
 - (i). To Provide Security services for protection of life. Security against theft, pilferage, fire etc for man and material in the premises.
 - (ii) Physical guarding of entry/exit points, Responsible for frisking/checking of the visitors during office hours and after, Screening /Directing of visitors .Visitor management in common and during special occasions .Guiding visitors to the concerned officials/occupants, regulating entry. Control the access of persons/vehicles in to and out of the complex and regulating entry of unwanted visitors/sales man and maintenance of visitor register.
 - (iii) Checking of gate passes, allowing the entry and exit of material and regulating the entry and exit of vehicles accordingly. Records of the inwards and outwards movement of men and material's, vehicles etc to be maintained with proper checking as per instructions given from time to time by the NIIRNCD organization.
 - (iv) Patrolling and guarding various common areas and surroundings to ensure adequate safety and security. Preventing entry of stray animals like cow, dogs etc. Round the clock patrolling of sites .Ensuring that boom barriers and access control systems are monitored and are in operational condition.

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618



ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Phone: 0291-2729713 | Fax: 0291-2720618

Email: store-niirncd@icmr.gov.in Website: https://niirncd.icmr.org.in/

- (v) Assisting the occupants during emergency evacuation of building .Effective involvement during the crisis management like accidents and bomb threats .Involve in frequent drills for preparation for emergencies. Handling of disaster management in case of emergencies and disasters
- (vi) Rescue operation of passengers if stranded in lifts, Help occupants in any accidents or medical emergencies. Handling situation in case of fire
- (vii) Liaison with appropriate agencies in case of disaster and emergencies and keep excellent liaison and contact with all such agencies
- (viii) Lodging of Complaints/FIR in case of any crime or violence and assist the police and other security agencies in their investigation in any related matter.
- 2. Any other responsibility in connection with performance of the roles specified though not specifically covered above shall also be considered as part of the responsibilities of the security man power.

Director